राज्य सरकार की ओर से धनावंटन

संख्या-245/1-10-2015-33(34)/2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, कौशाम्बी, बहराइच, बाराबंकी, सुलतानपुर, बागपत, अमरोहा, गाजीपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, रायबरेली एवं हरदोई।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2015

विषय: प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-177/1-11-2015-1(जी)/2015, दिनांक 18.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष दैवी आपदा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में तथा दैवी आपदा की वजह से असामयिक मृत्यु के कारण भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि रू0 1.50 लाख के अतिरिक्त रू0 3.50 लाख की धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इसके लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 47,90,51,000/- **(रूपये सैंतालिस करोड़ नब्बे लाख इक्यावन हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि(लाख में)
1	मैनपुरी	250.00
2	अलीगढ़	250.00
3	कासगंज	250.00
4	कौशाम्बी	250.00
5	बहराइच	250.00
6	बाराबंकी	250.00
7	सुलतानपुर	40.51
8	बागपत	250.00
9	अमरोहा	250.00
10	गाजीपुर	250.00

11	लखनऊ	250.00
12	फिरोजाबाद	250.00
13	लखीमपुर खीरी	250.00
14	रामपुर	250.00
15	पीलीभीत	250.00
16	मुरादाबाद	250.00
17	गौतमबुद्धनगर	250.00
18	गाजियाबाद	250.00
19	रायबरेली	250.00
20	हरदोई	250.00
	योग	**4790.51**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

(3) चूंकि यह राज्य सरकार की एक नयी योजना है जिसके लिये वित्त विभाग के पत्र संख्या-आरई-004/ई-5-604/दस-2015, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त की गयी है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि की नहीं है। अतः इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

(4) इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

(6) इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

4- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

5- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

16/5/15

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

<u>संख्याः-245(1)/1-10-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-16/04/2015

प्रेषण संख्या:- 7

आवंटन आदेश संख्या - 007-1-10-2015

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियो के सम्बन्ध मे राहत)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

04 - दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त सहायता

(धनराशि रु. में

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ 4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
2	मैनपुरी 4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
3	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25038000	25038000
4	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	50411000	50411000
5	रामपुर 4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25633000	25633000
6	गाजीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
7	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
8	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
9	हरदोई 4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
10	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25001000	25001000
11	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
12	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	4051000	4051000
		प्रगामी	4051000	4051000
13	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
14	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
15	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
16	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25602000	25602000
17	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
18	बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
19	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
20	कासगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	25000000	25000000
		प्रगामी	25000000	25000000
	योग	वर्तमान	479051000	479051000
		प्रगामी	505736000	505736000

महायोग- (वर्तमान आवंटन) :- रुपया सैंतालीस करोड़ नब्बे लाख इक्यावन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन) :- रुपया पचास करोड़ सत्तावन लाख छत्तीस हजार

(शिव राम)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी